


न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कोर्ट कैम्प रीवा म०प्र०



RS301

1-रोहणी प्रसाद तनय रामकृपाल

2- जयपाल तनय भैयालाल तिवारी

दोनों निवासी ग्राम पुरास तह० गुढ , जिला रीवा म०प्र० —निग०कर्तागण

बनाम

1- स्व० सीला देवी पत्नी रघुनन्दन प्रसाद तिवारी

१-राजाराम पुत्र स्व० रघुनन्दन प्रसाद तिवारी

२-शमरहीश पुत्र स्व० रघुनन्दन प्रसाद तिवारी

३-प्रमोद पुत्र स्व० रघुनन्दन प्रसाद तिवारी

४-स्व० रामलली बेबा पत्नी बाबूलाल

५-मनोज तनय स्व० बाबूलाल तिवारी

६-राजीव तनय स्व० बाबूलाल तिवारी

७-नीरज तनय स्व० बाबूलाल तिवारी

८-श्रीमती साधना तनया स्व० बाबूलाल तिवारी

९- हरिश्चन्द्र तिवारी तनय स्व० वंशीलाल तिवारी

१०- बेबा मालती पत्नी स्व० वंशीलाल तिवारी

११- रामचन्द्र तनय स्व० बलभद्र तिवारी

१२- कृष्णचन्द्र तिवारी तनय स्व० बलभद्र तिवारी

१३-बेबा पार्वती पत्नी स्व० बलभद्र तिवारी

सभी निवासी ग्राम पुरास तह० गुढ जिला रीवा म०प्र०— गैर निग०कर्तागण

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह० गुढ जिला रीवा म०प्र० के प्रकरण कमांक 5 बी/121 /2007-08 आदेश दिनांक 14/09/17 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-गुजस्व संहिता सन् 1959 ई०

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

रोहणी प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

106

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4430

जिला-रीवा

रोहणी प्रसाद वगैरः/ राजाराम तिवारी व अन्य

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नालाल तिवारी परिवार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुड के प्रकरण क्रमांक 05/बी 121/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	